

T. NO. 1948  
Page



- 5 FEB 2010


### बयनामा


बयनामा 6,48,600/-रु० मालयती 6,48,600/-रु० स्टाम्प 45,430/-रु०


मैं/हम कि जसपाल, मलखान, थानसिंह पुत्रगण श्री होरीलाल निवासी झांझनपुर, तहसील व जिला मुरादाबाद प्रथम पक्ष बिक्रेता व उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वितीय पक्ष क्रेता है ।

प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
मुरादाबाद



  
जि० अ०० जसपाल

2  
  
मलखानसिंह

3  
  
Thunay

आज दिनांक - 5 FEB 2010

को एक किता

स्टाम्प धनराशि 15000 रु. कुल धनराशि 15000 रु.


श्री. पी. दोहरे बास्ते लुणाकर भवन मुरादाबाद - जिला प्राधिकरण मुरादाबाद

की कोषागार मुरादाबाद से विक्रय किया।  
मुख्य रोकडिया  
कोषागार मुरादाबाद



Handwritten signature or initials in the bottom left corner.






03BB 864288


- 2 -

5 FEB 2010

जो कि एक किता काश्त आराजी बकदर भाग गाटा सं०-640मि.अ/ब रकबई 0.138 हैक्टेयर खतौनी नं०-368 जायदाद जैल जमीं ताल्लुकात मुताल्लिका उसके वाके ग्राम सोनकपुर व जिला मुरादाबाद महदूदा जैल जिसके मुकिर/मुकिरान व हैसियत मालिकाना मालिक काबिज व मालिक है, जिस पर प्रथम पक्ष बहैसियत भूमिधरी मालिक काबिज व दखील है । जिसके निस्वत प्रथम पक्ष विक्रेता को कुल अख्तयारात इन्तकालात मालिकाना प्राप्त है । कोई अग्रमान इन्तकाल हाजः नहीं है जो इस समय तक हर प्रकार के बारमिस्ल रहन बय हिबा जमानत किफालत कुर्की व नीलामी दीगरें व लोन सरकारी व गैर सरकारी गरज कि हर नुक्स व शास्त्री आदि से कतई बरी व पाक साफ है ।

1  
  
 नि० अ०० वसपाल


2  
  
 मलशकरीद

3  
  
 Tuncel

प्रदीप कुमार सिंह  
 संयुक्त सचिव  
 मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
 मुरादाबाद



03BB 864287



- 3 -

- 5 FEB 2010

लिहाजा बहालत दुरुस्ती होश हबाश खाम्सा विला बहकाये व सिखाये व दबाब नाजायज किसी के खूब सोच समझकर तमामी शयमुबईया मजकूराबाला को मय तमामी हदूद व हकूक दाखली व खारजी व मय हकूक आबरेजी हर किस्म व मय हक रास्ता आमदोरफत व मय दीगर कुल हक व हकूक मुताल्लिका उसके को विला छोडे किसी जुज व हक व हिस्से के बिल एवज मुबलिग रूपये 6,48,600/- (छः लाख अडतालिस हजार छः सौ रूपये ) आधे जिसके मुबलिग रु-3,24,300/- (तीन लाख चौवीस हजार तीन सौ रूपये) बदस्त उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद क्रेता वय कतई और फरोख्त कामिल करके कुल जरें समन उसका हस्ब तफसील जैल द्वितीय पक्ष (क्रेता) से वसूल पाकर तमामी शयमुबईया मजकूरा बाला का कब्जा व दखल मालिकाना मिस्लजात खास अपनी के द्वितीय पक्ष (क्रेता) को करा दिया अब प्रथम पक्ष (विक्रेता) के किसी वारिसान का कुछ हक ताल्लुक मालिकाना व दावा किसी

2.

3. *Turess*



*मलखानसिंह*



*नि. अ. ० वसपाल*

प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
मुरादाबाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 527045

- 4 -

किस्म का निस्वत शय मुबईया या जरे समन उसके से बाकी नही रहा और न ही आइन्दा कभी होगा । चुनांचे तकाबिजुल बदलैन उसका बहम प्रथम पक्ष (विक्रेता) व द्वितीय पक्ष (क्रेता) के अमल में आ गया है जुमला जमाने दर्क व इरतहकाक उसका व जिम्मे प्रथम पक्ष (विक्रेता) है अगर बाद को कोई कानूनी व शास्त्रान बाके आबे अगर बाद को किसी बक्त में किसी फेल प्रथम पक्ष (विक्रेता) शय मुबईया जुज या कुल कब्जे द्वितीय पक्ष (क्रेता) या बारिसान उसके से निकल जाये या बगरज तहपफुज शयमुबईया द्वितीय पक्ष (क्रेता) को कुछ सर्फा मजीद खर्च या अदा करना पडे तो उसी कदर जरे समन की वापसी का मैं प्रथम पक्ष (विक्रेता) अपनी जात व दीगर जायदाद मनकूल व गैरमनकूला हर किस्म से कुल हरजे व खरचे अदालती सहित देनदार व जिम्मेदार प्रथम पक्ष होंगे । बनीज आज तक की तमामी कानूनी देनदारियों व जिम्मेदारियों जिम्मे प्रथम पक्ष (विक्रेता) की होगी । आराजी की बावत पूर्व में कोई मुआयदावय नही हुआ है आराजी वक्फ या कस्टोडियन या ग्राम समाज से सम्बन्धित नही है ।

प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
मुरादाबाद



वि. अ. व. स. पाल

2  
मलशानि सिंह



3  
मलशानि सिंह



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE  
HUNDRED RUPEES



सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIAN NON JUDICIAL



2010

N 527044

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


- 5 -

अब द्वितीय पक्ष (क्रेता) को हक व अधिकार है कि वह कागजात सरकारी से प्रथम पक्ष विक्रेता का नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा लें प्रथम पक्ष (विक्रेता) को उज्र व एतराज न होगा । आराजी पूर्णतः खेती की भूमि है । आराजी उपरोक्त में कोई भवन पेड़ कूप, वोरिंग आदि नहीं है । आराजी मजकूर में मौके पर 200मी0 की त्रिज्या में खेती हो रही है । आराजी मुबईया कृषि भूमि गाटा सं0-640मि.अ/ब का सरकिल रेट जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित जारी मूल्यांकन सूची परिशिष्टि-एक उपखण्ड-ग के क्रमांक-31 के अनुसार रुपये 10,00,000/- प्रति एकड निर्धारित है, किन्तु मुरादाबाद विकास प्राधिकरण रुपये 19,00,000/- प्रति एकड की दर से मालियत पर स्टाम्प शुल्क रुपये 45,430/- अदा किया जा रहा है उक्त रेलवे मार्ग मुरादाबाद दिल्ली से करीब 500 मी0 दूर दक्खिन की तरफ है ।

प्रदीप कुमार सिंह

संयुक्त सचिव

मुरादाबाद वि. नास प्राधिकरण  
मुरादाबाद




नि०अ३० जलस्थल

2

मलका-216



3





5 FEB 2010

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 527043

- 6 -


विक्रीत खसरा नम्बरान में विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण भाग विक्रेय किया है तथा विक्रेता का कोई भाग शेष नहीं रहा है । पक्षकारान के फोटो गवाहान की पहचान पर श्री वीर सिंह सैनी, एडवोकेट पंजीयन सं०-701/04 चैम्बर नं०-297ए कचहरी, मुरादाबाद के द्वारा प्रमाणित किये है । अतः यह बयनामा कतई लिख दिया ताकि सनद रहे और बक्त जरूरत काम आबे । इति । तफसील बसूली जरे समन मुबलिंग रूपये 6,48,600/- (छः लाख अडतालिस हजार छः सौ रूपये ) चैक संख्या 130135 दिनांक 03.02.2010 केनरा बैंक एम.डी.ए. शाखा मुरादाबाद बयनामा हाजा कब्ल रजिस्ट्री प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिया ।

प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
मुरादाबाद



निर्वाहक जलपाल

2  
मलखा नरेश



3 Tuller



वीर सिंह सैनी  
एडवोकेट

पंजीय सं०-701/04  
डी० जे० नं०-बी-15  
चैम्बर नं०-297 ए

- 5 FEB 2010

आखिरी दिनांक ..... को एक डिप्टी  
स्टेशन मजदूरी ..... कुल धनराशि .....  
की ..... वी. दोहरे वारते उपरिष्ठ मुरादाबाद ..... प्राधिकरण मुरादाबाद  
को वीवीवीर मुरादाबाद से प्रेषित किया।

मुख्य रोकड़िया  
कोषागार मुरादाबाद

ने निष्पादन स्वीकार किया।  
जिनकी पहचान श्री देशराज सिंह  
पुत्र श्री मंगल सेन  
पेशा

निवासी झांझनपुर तह0 व जि0 मुरा0  
व श्री वीर सिंह सैनी एड0  
पुत्र श्री

पेशा वकालत  
निवासी  
ने की।

*(Signature)*



प्रत्यक्षतः भद्र माक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।  
मुकिर नं0 1 जसपाल पक्षाघात से पीडित हैं और अपने भाई मलखान एवं पुत तीरथ सिंह के साथ  
स्टेचर पर कार्यालय में उपस्थित हुए हैं।

रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर

*(Signature)*  
पुष्पेन्द्र कुमार यादव  
उप निबन्धक (द्वितीय)  
मुरादाबाद  
15/2/2010



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE  
HUNDRED RUPEES



सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIAN NON JUDICIAL



5 FEB 2010


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 527042

- 7 -


हदूद अरवा आराजी मुबईया गाटा सं० 640मि. अ/ब

पूरब-	गाटा संख्या-638, 639
पश्चिम-	सीलिंग भूमि एवं चकमार्ग
उत्तर-	गाटा संख्या-636
दक्षिण-	गाटा संख्या-641

1  
  
नि० अशु० बलपाल

2  
मलखानसिंह

3  
T. K. Singh



प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
मुरादाबाद

- 5 FEB 2010

आज दिनांक.....को एक किता  
स्टम्प धनराशि.....  
श्री.....की ओहरे बास्ते उपरान्त धनराशि.....  
को कोबावार मुरादाबाद से विक्रय किया।

मुख्य रोकड़िया  
कोबागार मुरादाबाद

विक्रय पत्र

648,600.00/ 649,000.00 10,000.00 40 10,040.00 2,000

प्रतिफल मालियत फॉर्म रजिस्ट्री नकल व प्रांत शुल्क  
श्री अर्जुन सिंह लिपिक द्वारा अधिकृत मु0वि0प्रा0मुरा0 प्रतिनिधि मु0वि0प्रा0म  
पुत्र श्री वासुदेव

पेशा नौकरी  
निवासी म्थायी कार्या0 मु0वि0प्रा0मुरा0  
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 15/2/2010 समय 1:01PM  
वजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण (अधिकारी के हस्ताक्षर)

पुष्पेन्द्र कुमार यादव  
उप निबन्धक (द्वितीय)

मुरादाबाद  
15/2/2010

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त  
विक्रेता

श्री जसपाल  
पुत्र श्री होरीलाल  
पेशा अन्य  
निवासी झांझनपुर तह0 व जि0 मुरा0

क्रेता  
श्री अर्जुन सिंह लिपिक द्वारा अधिकृत मु0वि0प्रा0मुरा0  
प्रतिनिधि मु0वि0प्रा0मुरा0  
पुत्र श्री वासुदेव  
पेशा नौकरी  
निवासी कार्या0 मु0वि0प्रा0मुरा0

श्री मलखान  
पुत्र श्री होरीलाल  
पेशा कृषि  
निवासी झांझनपुर तह0 व जि0 मुरा0

श्री थान सिंह  
पुत्र श्री होरीलाल  
पेशा कृषि  
निवासी झांझनपुर तह0 व जि0 मुरा0

24

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

भारत

Rs. 20

TWENTY  
RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA



INDIA NON JUDICIAL


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 8 -

09AA 099488

  
नि. अशुब्जसपाल

  
2  
मलखानसिंह  
1  
3  


  
प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव  
मुरादाबाद विक्री अधिकरण  
मुरादाबाद

उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी  
क्रेता

हस्ताक्षर

जसपाल, मलखान, थानसिंह  
पुत्रगण श्री होरीलाल निवासी  
झांझनपुर, तहसील व जिला  
मुरादाबाद ।

विक्रेता

-5 FEB 2010

आव दिवांक.....को एक किता  
रकम धनराशि...२०.....को धनराशि...२०.....  
की.....वी. होदरे भारते रजपुत्रा...  
को कोषागार मुरादाबाद...किया।

प्राधिकरण मुरादाबाद

मुख्य रोकडिया  
कोषागार मुरादाबाद

विक्रेता

Registration No.: 993

Year : 2,010

Book No. : 1

0101 जसपाल

होरीलाल

झांझनपुर तह0 व जि0 मुरा0

अन्य



0102 मलखान

होरीलाल

झांझनपुर तह0 व जि0 मुरा0

कृषि



0103 थान सिंह

होरीलाल

झांझनपुर तह0 व जि0 मुरा0

कृषि



भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये

रु. 10



TEN  
RUPEES

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

78AA 774534

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 9 -



प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
मुरादाबाद

वीर सिंह सैनी  
एडवोकेट

पंजीप सं०-701/04  
डी० जे० नं०-बी-15  
फैक्टर नं०-297 ए

साक्षी-1 श्री देशराज पुत्र श्री मंगल सैन  
निवासी-झांझनपुर  
तहसील व जिला मुरादाबाद ।

हस्ताक्षर


जिजाण जानकी देवी



साक्षी-2 श्रीमती जानकी देवी पत्नी स्व० श्री जागन सिंह  
निवासी-झांझनपुर  
तहसील व जिला मुरादाबाद ।

हस्ताक्षर

यह बयनामा हाजा दिनांक 06.02.2010 को बईकरार मशबरा पक्षकारान बमुकाम  
मुरादाबाद टाईप किया गया ।



नि० अश० बसपाल

मलखान सिंह

3 T...



- 5 FEB 2010

आज दिनांक.....को एक किता

स्टाम्प धनराशि.....कुल धनराशि.....

श्री. श्री. दोहरे वारसे सपाएडक्ष मुरादाबाद..... प्राधिकरण मुरादाबाद

को कोषागार मुरादाबाद ले विज्ञाप किया।

आज  
स्टाम्प  
श्री.  
कोष

मुख्य रोकड़िया  
कोषागार मुरादाबाद

क्रेता

0101

Registration No. : 993

Year : 2,010

Book No. : 1

0201 अर्जुन सिंह लिपिक द्वारा अधिकृत मु0वि0प्रा0मुरा0 प्रतिनिधि म  
वासुदेव  
कार्या0 मु0वि0प्रा0मुरा0  
नौकरी



0102

विधि सही इति  
.....  
.....  
.....

0103




चेकब्या नजरी

ग्राम सोनकपुर तहसील जिला मुरादाबाद

22

गाय सं - 640

क्षेत्रफल - 0-138





चमगा


गाय सं.  
638,  
639

गाय सं. 641

प्रदीप कुमार सिंह  
 संयुक्त सचिव  
 मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
 मुरादाबाद

  
 04-02-10

  
 4/2/2010





नि. अशोक चतुर्वेदी

2





3



आज दिनांक 15/02/2010 को  
वही सं. 1 जिल्द सं. 6384  
पृष्ठ सं. 157 से 184 पर क्रमांक 993  
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पुष्पेन्द्र कुमार यादव  
उप निबन्धक (द्वितीय)  
मुरादाबाद  
15/2/2010





68350 916



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

456399



### बयनामा

- 5 FEB 2010

बयनामा 8,64,800/-रु० मालयती 8,64,800/-रु० स्टाम्प 60,550/-रु०

मैं/हम कि कल्यान सिंह, ऋषिराम, शंकर सिंह पुत्रगण श्री गंगाराम निवासी झांझनपुर, तहसील व जिला मुरादाबाद प्रथम पक्ष बिक्रेता व उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वितीय पक्ष क्रेता है ।



प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
मुरादाबाद

कल्यान सिंह

शंकर सिंह

श्री गंगाराम



- 5 FEB 2010

आज दिनांक ..... को एक किता  
स्टाम्प धनराशि 250000 ..... कृत धनराशि 250000  
श्री श्री प्रोफेसर बाली कृष्णदास म म प्राधिकरण मुरादाबाद  
को कोबागार मुरादाबाद से लिखित किया।


मुख्य रोकड़िया  
कोबागार मुरादाबाद





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

456398



- 2 -

जो कि एक कित्ता काश्त आराजी बकदर भाग गाटा सं०-640मि.अ/व रकबई 0.184 हैक्टियर खतौनी नं०-368 जायदाद जैल जमीं ताल्लुकात मुताल्लिका उसके वफे ग्राम सोनकपुर व जिला मुरादाबाद महदूदा जैल जिसके मुकिसर/मुकिसन व हैसियत मालिकाना मालिक काबिज व मालिक है, जिस पर -5 FEB 2010 म पक्ष बहैसियत भूमिधरी मालिक काबिज व दखील है । जिसके निरवत प्रथम पक्ष विक्रेता को कुल अख्तयारात इन्तकालात मालिकाना प्राप्त है । कोई अग्रमान इन्तकाल हाजा नही है जो इस समय तक हर प्रकार के वारमिस्ल रहन बय हिबा जमानत किफालत कुर्की व नीलामी दीगरें व लोन सरकारी व गैर सरकारी गरज कि हर नुक्स व शास्त्री आदि से कतई बरी व पाक साफ है । लिहाजा बहालत दुरुस्ती होश हबाश खाम्सा विला बहकाये व सिखाये व दबाव नाजायज किसी के खूब सोच समझकर तमामी शयमुबईया मजकूरावाला को मय तमामी हदूद व हकूक दाखली व खारजी व मय हकूक आबरेजी हर किरम व मय हक रास्ता आमदोरफत व मय दीगर कुल हक व हकूक मुताल्लिका उसके को विला छोडे किसी जुज व हक व हिस्से के बिल एवज मुबलिंग रूपये 8,64,800/- (आठ लाख चौसठ हजार आठ सौ रूपये ) आधे जिसके मुबलिंग रु०-4,32,400/- (चार लाख बत्तीस हजार चार सौ रूपये) बदस्त उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद क्रेता वय कतई और फरोख्त कामिल करके कुल जरें

प्रदीप कुमार सिंह  
मंडुस्त सचिव  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
मुरादाबाद

मल्लिक सिंह

मि. अ. मल्लिक


शिवराम सिंह



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

456397

- 3 -



समन उसका हस्त तफसील जैल द्वितीय पक्ष (क्रेता) से वसूल पाकर तमामी शयमुबईया मजकूरा वाला का कब्जा व दखल मालिकाना मिस्लजात खास अपनी कोषागार 140के द्वितीय पक्ष (क्रेता) को करा दिया अब प्रथम पक्ष (विक्रेता) के किसी वारिसान कुछ हक ताल्लुक मालिकाना व दावा किसी किस्म का निस्वत शय मुबईया या जरे समन उसके से बाकी नही रहा और न ही आइन्दा कभी होगा । चुनांचे तकाबिजुल बदलैन उसका वहम प्रथम पक्ष (विक्रेता) व द्वितीय पक्ष (क्रेता) के अमल में आ गया है जुमला जमाने दर्क व इस्तहकाक उसका व जिम्मे प्रथम पक्ष (विक्रेता) है अगर बाद को कोई कानूनी व शास्त्रान बाके आवे अगर बाद को किसी बक्त में किसी फेल प्रथम पक्ष (विक्रेता) शय मुबईया जुज या कुल कब्जे द्वितीय पक्ष (क्रेता) या वारिसान उसके से निकल जाये या बगरज तहफफुज शयमुबईया द्वितीय पक्ष (क्रेता) को कुछ सर्फा मजीद खर्च या अदा करना पडे तो उसी कदर जरे समन की वापसी का मैं प्रथम पक्ष (विक्रेता) अपनी जात व दीगर जायदाद मनकूल व गैरमनकूला हर किस्म से कुल हरजे व खरचे अदालती सहित देनदार व जिम्मेदार प्रथम पक्ष होंगे ।

- 5 FEB 2010

प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
मुरादाबाद


मुरादाबाद  
शयमुबईया

शयमुबईया

भारतीय गैर न्यायिक  
भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED  
RUPEES



Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

5 FEB 2010

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 529887

- 4 -

बनीज आज तक की तमामी कानूनी देनदारियों व जिम्मेदारियों जिम्मे प्रथम पक्ष (विक्रेता) की होगी । आराजी की बावत पूर्व में कोई मुआयदावय नहीं हुआ है आराजी वक्फ या करस्टोडियन या ग्राम समाज से सम्बन्धित नहीं है । अब द्वितीय पक्ष (क्रेता) को हक व अधिकार है कि वह कागजात सरकारी से प्रथम पक्ष विक्रेता का नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा ले प्रथम पक्ष (विक्रेता) को उज न एतराज न होगा । आराजी पूर्णतः खेती की भूमि है । आराजी उपरोक्त में कोई भवन पेड़ कूप, वोरिंग आदि नहीं है । आराजी मजकूर में मौके पर 200मी० की त्रिज्या में खेती हो रही है । आराजी मुबईया कृषि भूमि गाटा सं०-640मि.अ/ब का सरकिल रेट जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित जारी मूल्यांकन सूची परिशिष्टि-एक उपखण्ड-ग के क्रमांक-31 के अनुसार रुपये 10,00,000/- प्रति एकड निर्धारित है, किन्तु मुरादाबाद विकास प्राधिकरण रुपये 19,00,000/- प्रति एकड की दर से मालियत पर स्टाम्प शुल्क रुपये 60,550/- अदा किया जा रहा है उक्त रेलवे मार्ग मुरादाबाद दिल्ली से करीब 500 मी० दूर दक्खिन की तरफ है ।

प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव

मि. एम. प्रदीप राव

मि. एम. प्रदीप राव

प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
मुरादाबाद


हदूद अरवा आराजी मुबईया गाटा सं० 640मि. अ/ब

प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
मुरादाबाद

पूरब- गाटा संख्या-638, 639  
पश्चिम- सीलिंग भूमि एवं चकमार्ग  
उत्तर- गाटा संख्या-636  
दक्षिण- गाटा संख्या-641

प्रदीप कुमार सिंह  
प्रदीप कुमार सिंह  
शंकर सिंह

के विधायन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री देशराज 

पुत्र श्री मंगल सीन

पेश

विधानी झांझनपुर तहसील जिला मुरादाबाद

पत्नी श्री पद्मी सिंह

पुत्र श्री खमानी

पेश

विधानी झांझनपुर तहसील जिला मुरादाबाद


पेश

उपरोक्त शर्त शर्तियों के विनाम अग्रुटे नियमानुसार लिखे गये हैं।




*P. Singh*

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
पी० के० यादव  
उप निबन्धक (द्वितीय)  
मुरादाबाद  
10/2/2010



  
प्रदीप कुमार सिंह  
संयोजक  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी  
क्रेता

कल्याण सिंह

  
कल्याण सिंह

हस्ताक्षर

कल्याण सिंह, ऋषिराम, शंकर  
सिंह पुत्रगण श्री होरीलाल  
निवासी झांझनपुर, तहसील व  
जिला मुरादाबाद ।  
विक्रेता

864,800.00/ 865,000.00 विक्रय पत्र 10,000.00 40 10,040.00 2,000  
फॉर्म रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क यांग शब्द लगभग

पतिफल मालियत  
श्री अर्जुन सिंह लिपिक द्वारा अधिकत मु0वि0प्रा0मुरा0 प्रतिनिधि मु0वि0प्रा0  
पुत्र श्री वासुदेव  
पेशा नौकरी  
निवासी स्थायी कार्या0 मु0वि0प्रा0मुरा0  
अस्थायी पना

ने यह लेणपत्र इस कार्यालय में दिनांक 10/2/2010 समय 2:53PM  
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

पी0 के0 यादव  
उप निबन्धक (द्वितीय)

मुरादाबाद

10/2/2010

निष्पादन लेखपत्र वाद मनने व समझने मजमून व पाप्त धनराशि रु फलेखानगार उक्त  
विक्रेता क्रेता

श्री कल्याण सिंह  
पुत्र श्री गंगाराम  
पेशा कृषि  
निवासी झांझनपुर तह0 व जि0 मुरा0

*कल्याण सिंह*



श्री अर्जुन सिंह लिपिक द्वारा अधिकत मु0वि0प्रा0मुरा0  
प्रतिनिधि मु0वि0प्रा0मुरा0  
पुत्र श्री वासुदेव  
पेशा नौकरी  
निवासी कार्या0 मु0वि0प्रा0मुरा0

*अर्जुन सिंह*



श्री ऋषिराम  
पुत्र श्री गंगाराम  
पेशा कृषि  
निवासी झांझनपुर तह0 व जि0 मुरा0

*ऋषिराम*



श्री शंकर सिंह  
पुत्र श्री गंगाराम  
पेशा कृषि  
निवासी झांझनपुर तह0 व जि0 मुरा0

*शंकर सिंह*




रजिस्ट्रार परत





साक्षी-1 श्री देशराज पुत्र श्री मंगल सैन  
निवासी-झांझनपुर  
तहसील व जिला मुरादाबाद ।

  
हस्ताक्षर




साक्षी-2 श्री पृथी सिंह पुत्र श्री खमानी  
निवासी-झांझनपुर  
तहसील व जिला मुरादाबाद ।


  
हस्ताक्षर

यह बयनामा हाजा दिनांक 06.02.2010 को बईकरार मशबरा पक्षकारान बमुकाम  
मुरादाबाद टाईप किया गया ।

प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
मुरादाबाद








वीर सिंह सैनी  
एडवोकेट

फंजीण सं०-701/04  
डी० जे० नं०-बी-15  
दोअर नं०-297 ए



पचास  
रुपये

विक्रेता

Registration No.: 916

Year : 2,010

Book No. : 1

0101 कल्याण सिंह

गंगाराम  
झांझनपुर तह0 व जि0 मुसा0  
कृषि



0102 ऋषिराम

गंगाराम  
झांझनपुर तह0 व जि0 मुसा0  
कृषि




0103 शंकर सिंह

गंगाराम  
झांझनपुर तह0 व जि0 मुसा0  
कृषि



पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 593398

- 5 -

विक्रीत खसरा नम्बरान में विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण भाग विक्रेय किया है तथा विक्रेता का कोई भाग शेष नहीं रहा है । पक्षकारान के फोटो गवाहान की पहचान पर श्री वीर सिंह सैनी, एडवोकेट पंजीयन सं०-701/04 चैम्बर नं०-297ए कचहरी, मुरादाबाद के द्वारा प्रमाणित किये हैं । अतः यह बयनामा कतई लिख दिया ताकि सनद रहे और बक्त जरूरत काम आबे । इति । तफसील बसूली जरे समन मुबलिग रूपये 8,64,800/- (आठ लाख चौसठ हजार आठ सौ रूपये ) बैंक संख्या 130133 दिनांक 03.02.2010 केनरा बैंक एम.डी.ए. शाखा मुरादाबाद बयनामा हाजा कब्ल रजिस्ट्री प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिया ।

मुरादाबाद 12/2/16

निम्न अधिराज

शेखर 12/2/16

प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
मुरादाबाद

वीर सिंह सैनी  
एडवोकेट

पंजीय सं०-701/04  
डी० जे० नं०-बी-15  
चैम्बर नं०-297 ए

5 FEB 2010

अजय दिनांक ..... को एक किताब  
रजिस्ट्रार धरमराशि 50 कुल धरमराशि 50  
श्री. श्री. दोहरे वारते उपर्युक्त मुरादाबाद जिला प्रशिक्षण मुरादाबाद  
को कोषागार मुरादाबाद में विक्रय किया।

मुख्य रोकडिया  
कोषागार मुरादाबाद

क्रेता

Registration No. : 916

Year : 2,010

Book No. : 1

0201 अर्जुन सिंह लिपिक द्वारा अधिकृत मु0वि0प्रा0मुरा0 प्रतिनिधि -  
वासुदेव  
कार्या0 मु0वि0प्रा0मुरा0  
नोकरी




जफशा नजरी


शाम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद


गावा सं - 640


क्षेत्र - 0-184 हेक्टर


21





  
 प्रदीप कुमार सिंह  
 संयुक्त सचिव  
 मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
 मुरादाबाद


  
 04-02-10

  
 4/2/2010

  
 सुभाषिणी सिंह

  
 सुभाषिणी सिंह

  
 शिवर सिंह



आज दिनांक 10/02/2010 का  
वही सं. 1 जिल्ला सं. 6381  
पृष्ठ सं. 291 से 316 पर क्रमांक 916  
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी0 के0 यादव  
उप निबन्धक (द्वितीय)  
मुरादाबाद  
10/2/2010




30310

08/2/2010



03BB 864291


5 FEB 2010




## बयनामा

बयनामा 4,32,400/-रु० मालयती 4,32,400/-रु० स्टाम्प 30,310/-रु०


मैं/हम कि मंगल सिंह पुत्र श्री लालमन निवासी झांझनपुर, तहसील व जिला मुरादाबाद प्रथम पक्ष बिक्रेता व उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वितीय पक्ष केता है ।

  
प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
मुरादाबाद



मंगल सिंह





03BB 864290

- 2 -

-5 FEB 2010

जो कि एक कित्ता काश्त आराजी बकदर भाग गाटा सं०-640मि.अ/ब रकबई 0.092 हैक्टेयर खतौनी नं०-368 जायदाद जैल जमी ताल्लुकात मुताल्लिका उसके वाके ग्राम सोनकपुर व जिला मुरादाबाद महदूदा जैल जिसके मुकिर/मुकिरान व हैसियत मालिकाना मालिक काबिज व मालिक है, जिस पर प्रथम पक्ष बहैसियत भूमिधरी मालिक काबिज व दखील है । जिसके निस्वत प्रथम पक्ष विक्रेता को कुल अख्तयारात इन्तकालात मालिकाना प्राप्त है । कोई अम्मान इन्तकाल हाजा नही है जो इस समय तक हर प्रकार के बारमिस्ल रहन बय हिबा जमानत किफालत कुर्की व नीलागी दीगरे व लोन सरकारी व गैर सरकारी गरज कि हर नुक्स व शास्त्री आदि से कतई बरी व पाक साफ है । लिहाजा बहालत दुरुस्ती होश हबाश खाम्सा विला बहकाये व सिखाये व दबाब नाजायज किसी के खूब सोच समझकर तमामी शयमुबईया मजकूराबाला को मय तमामी हदूद व हकूक दाखली व खारजी व मय हकूक आबरेजी हर किसम व मय हक रास्ता आमदोरफत व मय दीगर कुल हक व हकूक मुताल्लिका उसके को विला छोडे किसी जुज व हक व हिस्से के बिल एवज मुबलिग रूपये 4,32,400/- (चार लाख बत्तीस हजार चार सौ रूपये ) आधे जिसके मुबलिग रु०-2,16,200/- (दो लाख सोलह हजार दो सौ रूपये) बदस्त उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद क्रेता वय कतई और फरोख्त कागिल करके कुल जरे

प्रवीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
मुरादाबाद

मुरादाबाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 527048

- 3 -

समन उसका हरब तपसील जैल द्वितीय पक्ष (क्रेता) से वसूल पाकर तमामी शयमुबईया मजकूरा बाला का कब्जा व दखल मालिकाना मिस्लजात खास अपनी के द्वितीय पक्ष (क्रेता) को करा दिया अब प्रथम पक्ष (विक्रेता) के किसी वारिसान का कुछ हक ताल्लुक मालिकाना व दावा किसी किस्म का निस्वत शय मुबईया या जरे समन उसके से बाकी नहीं रहा और न ही आइन्दा कमी होगा । चुनाचे तकाबिजुल बदलैन उसका बहम प्रथम पक्ष (विक्रेता) व द्वितीय पक्ष (क्रेता) के अमल में आ गया है जुमला जमाने दर्क व इस्तहकाक उसका व जिम्मे प्रथम पक्ष (विक्रेता) है अगर बाद को कोई कानूनी व शास्त्रान बाके आबे अगर बाद को किसी बक्त में किसी फेल प्रथम पक्ष (विक्रेता) शय मुबईया जुज या कुल कब्जे द्वितीय पक्ष (क्रेता) या वारिसान उसके से निकल जाये या बगरज तहफफुज शयमुबईया द्वितीय पक्ष (क्रेता) को कुछ सर्फा मजीद खर्च या अदा करना पडे तो उसी कदर जरे समन की वापसी का मैं प्रथम पक्ष (विक्रेता) अपनी जात व दीगर जायदाद मनकूल व गैरमनकूला हर किस्म से कुल हरजे व खर्चे अदालती सहित देनदार व जिम्मेदार प्रथम पक्ष होंगे । बनीज आज तक की तमामी कानूनी देनदारियों व जिम्मेदारियों जिम्मे प्रथम पक्ष (विक्रेता) की होगी । आराजी की बावत पूर्व में कोई मुआयदावय नहीं हुआ है आराजी वक्फ या कस्टोडियन या ग्राम समाज से सम्बन्धित नहीं है ।

1/5 FEB 2010

प्रदीप कुमार सिंह  
मंगलदा सचिव  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
मुरादाबाद




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 527047

- 4 -

अब द्वितीय पक्ष (क्रेता) को हक व अधिकार है कि वह कागजात सरकारी से प्रथम पक्ष विक्रेता का नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा लें प्रथम पक्ष (विक्रेता) को उज्र व एतराज न होगा । आराजी पूर्णतः खेती की भूमि है । आराजी उपरोक्त में कोई भवन पेड़ कूप, वोरिंग आदि नहीं है । आराजी मजकूर में मौके पर 200मी० की त्रिज्या में खेती हो रही है । आराजी मुबईया कृषि भूमि गाटा सं०-640मि.अ/ब का सरकिल रेट जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित जारी मूल्यांकन सूची परिशिष्टि-एक उपखण्ड-ग के क्रमांक-31 के अनुसार रूपये 10,00,000/- प्रति एकड निर्धारित है, किन्तु मुरादाबाद विकास प्राधिकरण रूपये 19,00,000/- प्रति एकड की दर से मालियत पर स्टाम्प शुल्क रूपये 30,310/- अदा किया जा रहा है उक्त रेलवे मार्ग मुरादाबाद दिल्ली से करीब 500 मी० दूर दक्खिन की तरफ है ।

  
प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
मुरादाबाद

मुरादाबाद 12/2



भारतीय गैर न्यायिक


एक सौ रुपये

Rs. 100



सत्यमेव जयते

ONE  
HUNDRED RUPEES



भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 527046

- 5 -

विक्रीत खसरा नम्बरान में विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण भाग विक्रेय किया है तथा विक्रेता का कोई भाग शेष नहीं रहा है । पक्षकारान के फोटो गवाहान की पहचान पर श्री वीर सिंह सैनी, एडवोकेट पंजीयन सं०-701/04 चैम्बर नं०-297ए कचहरी, मुरादाबाद के द्वारा प्रमाणित किये है । अतः यह बयनामा कतई लिख दिया ताकि सनद रहे और बक्त जरूरत काम आबे । इति । तफसील बसूली जरे समन मुबलिंग रुपये 4,32,400/- (चार लाख बत्तीस हजार चार सौ रुपये ) बैंक संख्या 130136 दिनांक 03.02.2010 केनरा बैंक एम.डी.ए. शाखा मुरादाबाद बयनामा हाजा कब्ल रजिस्ट्री प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिया ।

प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
मुरादाबाद

वीर सिंह सैनी  
एडवोकेट

पंजी० सं०-701/04  
डी० जे० नं०-बी-15  
चैम्बर नं०-297 ए

भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये

रु.10



TEN  
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


78AA 774535

- 6 -

हदूद अरवा आराजी मुवईया गाटा सं० 640मि. अ/व

पूरब-	गाटा संख्या-638, 639
पश्चिम-	सीलिंग भूमि एवं चकमार्ग
उत्तर-	गाटा संख्या-636
दक्षिण-	गाटा संख्या-641


  
प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव  
पुरातत्वाय विकास प्राधिकरण  
मुरादाबाद





23

-7-

  
प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
हस्ताक्षर

उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी  
क्रैता


हस्ताक्षर

मंगल सिंह पुत्र श्री लालमन  
निवासी झांझनपुर, तहसील व  
जिला मुरादाबाद  
विक्रेता

विक्रेता

Registration No.: 883

Year : 2010


Book No. : 1


0101 मंगल सिंह  
लाखमन  
जाअनपुर मुराO  
कृषि





साक्षी-1 श्री देशराज पुत्र श्री मंगल सिंह  
निवासी-झांझनपुर  
तहसील व जिला मुरादाबाद ।


  
हस्ताक्षर





साक्षी-2 श्री पृथी पुत्र श्री खमानी  
निवासी-झांझनपुर  
तहसील व जिला मुरादाबाद ।


  
हस्ताक्षर

यह बयनामा हाजा दिनांक 06.02.2010 को बईकरार मशबरा पक्षकारान बमुकाम  
मुरादाबाद टाईप किया गया ।



  
प्रवीण कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
मुरादाबाद

  
वीर सिंह सैनी  
एडवोकेट  
पंजीन सं०-701/04  
डी० जे० नं०-बी-15  
चैम्बर नं०-297 ए



क्रेता

Registration No. : 883

Year : 2,010

Book No. : 1

0201 अर्जुल सिंह लिपिक द्वारा अधिकृत मु०वि०प्रा०मुरा० प्रतिनिधि ः  
वासुदेव  
कार्या० मु०वि०प्रा०मुरा०  
नौकरी




बकशा जपरी

ग्राम सोनकपुर तह व जिला मुरादाबाद  
गाय सं- 640  
क्षेत्र - 0-092 ई०

21

5



82  
04-02-10

4/2/2010

मेडां 125



प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
मुरादाबाद

आज दिनांक 09/02/2010 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 6380

पृष्ठ सं. 73 से 94 पर क्रमांक 883

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी0 के0 यादव

उप निबन्धक (द्वितीय)

मुरादाबाद

9/2/2010







भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000


ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 741734



- 2 -

- 5 FEB 2010

जो कि एक कित्ता काश्त आराजी बकदर भाग गाटा सं0-640मि.अ/व रकबई 0.037 हैक्टेयर खतौनी नं0-368 जायदाद जैल जमीं ताल्लुकात मुताल्लिका उसके वाके ग्राम सोनकपुर व जिला मुरादाबाद महदूदा जैल जिसके मुकिर/मुकिरान व हैसियत मालिकाना मालिक काबिज व मालिक है, जिस पर प्रथम पक्ष बहैसियत भूमिधरी मालिक काबिज व दखील है । जिसके निस्वत प्रथम पक्ष विक्रेता को कुल अख्तयारात इन्तकालात मालिकाना प्राप्त है । कोई अग्रमान इन्तकाल हाजा नहीं है जो इस समय तक हर प्रकार के वारमिस्त रहन बय हिवा जमानत किफालत कुर्की व नीलामी दीगरें व लोन सरकारी व गैर सरकारी गरज कि हर नुक्स व शास्त्री आदि से कतई बरी व पाक साफ है ।

प्रदीप कुमार सिंह  
संगुप्त सचिव  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
मुरादाबाद

तिम जानकी देवी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 741733



- 3 -

- 5 FEB 2010

लिहाजा बहालत दुरुस्ती होश हबाश खाम्सा विला बहकाये व सिखाये व दबाब नाजायज किसी के खूब सोच समझकर तमागी शयमुबईया मजकूराबाला को मग तमागी हदूद व हकूक दाखली व खारजी व मय हकूक आबरेजी हर किरम व मय हक रास्ता आमदोरफत व मय दीगर कुल हक व हकूक मुताल्लिका उसके कां विला छोडे किसी जुज व हक व हिस्से के बिल एवज मुबलिंग रूपये 1,73,900/- (एक लाख तेहत्तर हजार नौ सौ रूपये ) आधे जिसके मुबलिंग रु0-86,950/- (छियासी हजार नौ सौ पचास रूपये) बदस्त उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद क्रेता वय कतई और फरोख्त कामिल करके कुल जरें समन उसका हस्ब तपसील जैल द्वितीय पक्ष (क्रेता) से वसूल पाकर तमागी शयमुबईया मजकूरा बाला का कब्जा व दखल मालिकाना मिस्लजात खास अपनी के द्वितीय पक्ष (क्रेता) को करा दिया अब प्रथम पक्ष (विक्रेता) के किसी वारिसान का कुछ हक ताल्लुक मालिकाना व दावा किसी.

प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
मुरादाबाद

मुरादाबाद  
द्वितीय पक्ष



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 527039

- 4 -

किस्म का निस्वत शय मुबईया या जरे समन उसके से बाकी नही रहा और न ही आइन्दा कभी होगा । चुनांचे तकाबिजुल बदलैन उसका बहम प्रथम पक्ष (विक्रेता) व द्वितीय पक्ष (क्रेता) के अमल में आ गया है जुमला जमाने दर्क व इस्तहकाक उसका व जिम्मे प्रथम पक्ष (विक्रेता) है अगर बाद को कोई कानूनी व शास्त्रान बाके आवे अगर बाद को किसी बक्त में किसी फेल प्रथम पक्ष (विक्रेता) शय मुबईया जुज या कुल कब्जे द्वितीय पक्ष (क्रेता) या बारिसान उसके से निकल जाये या बगरज तहपफुज शयमुबईया द्वितीय पक्ष (क्रेता) को कुछ सर्फा मजीद खर्च या अदा करना पडे तो उसी कदर जरे समन की वापसी का मैं प्रथम पक्ष (विक्रेता) अपनी जात व दीगर जायदाद मनकूल व गैरमनकूला हर किस्म से कुल हरजे व खरचे अदालती सहित देनदार व जिम्मेदार प्रथम पक्ष होंगे । बनीज आज तक की तमामी कानूनी देनदारियों व जिम्मेदारियों जिम्मे प्रथम पक्ष (विक्रेता) की होगी । आराजी की बावत पूर्व में कोई मुआयदावय नही हुआ है आराजी वक्फ या कस्टोडियन या ग्राम समाज से सम्बन्धित नही है ।

प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
मुरादाबाद

कि. प्र. जान. व. र. व. र.

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
रु.50



FIFTY  
RUPEES  
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 593399

- 5 -

अब द्वितीय पक्ष (क्रेता) को हक व अधिकार है कि वह कागजात सरकारी से प्रथम पक्ष विक्रेता का नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा लें प्रथम पक्ष (विक्रेता) को उज्र व एतराज न होगा । आराजी पूर्णतः खेती की भूमि है । आराजी उपरोक्त में कोई भवन पेड़ कूप, वोरिंग आदि नहीं है । आराजी मजकूर में मौके पर 200मी० की त्रिज्या में खेती हो रही है । आराजी मुबईया कृषि भूमि गाटा सं०-640मि.अ/ब का सरकिल रेट जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित जारी मूल्यांकन सूची परिशिष्टि-एक उपखण्ड-ग के क्रमांक-31 के अनुसार रुपये 10,00,000/- प्रति एकड निर्धारित है, किन्तु मुरादाबाद विकास प्राधिकरण रुपये 19,00,000/- प्रति एकड की दर से मालियत पर स्टाम्प शुल्क रुपये 12,180/- अदा किया जा रहा है उक्त रेलवे मार्ग मुरादाबाद दिल्ली से करीब 500 मी० दूर दक्खिन की तरफ है ।

प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
मुरादाबाद

रि. रम. जानकी  
देवी

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY  
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 6 -

09AA 099481

विक्रीत खसरा नम्बरान में विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण भाग विक्रेय किया है तथा विक्रेता का कोई भाग शेष नहीं रहा है। पक्षकारान के फोटो गवाहान की पहचान पर श्री वीर सिंह सैनी, एडवोकेट पंजीयन सं०-701/04 चैम्बर नं०-297ए कचहरी, मुरादाबाद के द्वारा प्रमाणित किये हैं। अतः यह बयनामा कतई लिख दिया ताकि सनद रहे और बक्त जरूरत काम आवे। इति। तफसील बसूली जरे समन मुबलिंग रुपये 1,73,900/- (एक लाख तेहत्तर हजार नौ सौ रुपये) बैंक संख्या 130132 दिनांक 03.02.2010 केनरा बैंक एम.डी.ए. शाखा मुरादाबाद बयनामा हाजा कब्ल रजिस्ट्री प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिया।

प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त अधिव  
मुरादाबाद विधायक प्राधिकरण  
मुरादाबाद

वीर सिंह सैनी  
एडवोकेट

पंजी० सं०-701/04  
डी० जे० नं०-बी-15  
चैम्बर नं०-297 ए

राम गान्धी  
२९९

चैम्बर नं०-297 ए

5 FEB 2010

5 FEB 2010

आज दिनांक ..... को एक फिदा  
स्टाम्प धराराशि 20 नुन धराराशि  
दी बी. रोहरे बास्ते इपाइएल मुरादाबाद न प्राधिकरण मुरादाबाद  
को कोषागार मुरादाबाद के दिनांक 9/2/2010

मुकुन्द रोकड़िया  
कोषागार मुरादाबाद

विक्रय पत्र

173,900.00/ 174,000.00 1,740.00 40 1,780.00 2,000

पतिफल मालियत फीम रजिस्ट्री नकल व पति शुल्क योग शब्द नगभाग  
श्री अर्जुन सिंह लिपिक द्वारा अधिकृत मु0वि0प्रा0मुरा0 प्रतिनिधि मु0वि0प्रा0  
पुत्र श्री वासुदेव  
पेशा नौकरी  
निवासी स्थायी कार्या0 मु0वि0प्रा0मुरा0  
अस्थायी पता  
ने यह लेखपत्र इन कार्यालय में दिनांक 9/2/2010 समय 3:41PM  
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी0 के0 यादव  
उप निबन्धक (द्वितीय)  
मुरादाबाद  
9/2/2010

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व पाज धनगशि रु. फलेखानगार उक्त  
विक्रेता

श्रीमति जानकी देवी  
पत्नी श्री स्व0 जागन सिंह  
पेशा गृहिणी  
निवासी झांझनपुर मुरा0

श्री अर्जुन सिंह लिपिक द्वारा अधिकृत मु0वि0प्रा0मुरा0  
प्रतिनिधि मु0वि0प्रा0मुरा0  
पुत्र श्री वासुदेव  
पेशा नौकरी  
निवासी कार्या0 मु0वि0प्रा0मुरा0

ने निष्पादन स्वीकार किया।  
जिनकी पहचान श्री पृथी सिंह  
पुत्र श्री खमानी सिंह  
पेशा

निवासी झांझनपुर मुरा0  
व श्री देशराज  
पुत्र श्री मंगलसैन  
पेशा  
निवासी झांझनपुर मुरा0  
ने की।

पहचान: मद्र माशियों के निजान अंगुटे नियमनगार लिये गये हैं।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर  
पी0 के0 यादव  
उप निबन्धक (द्वितीय)  
मुरादाबाद  
9/2/2010

भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये  
रु.10



TEN  
RUPEES  
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

78AA 774533

-7-

हदूद अरवा आराजी मुबईया गाटा सं० 640मि. अ/व

पूरब-	गाटा संख्या-638, 639
पश्चिम-	सीलिंग भूमि एवं चकमार्ग
उत्तर-	गाटा संख्या-636
दक्षिण-	गाटा संख्या-641

प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
मुरादाबाद

दि. २५ जनवरी  
२०१७



- 8 -

प्रदीप कुमार सिंह  
सहस्रिकाक्षिक

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी  
क्रेता



साक्षी-1 श्री देशराज पुत्र श्री मंगल सैन  
निवासी-झांझनपुर  
तहसील व जिला मुरादाबाद ।



साक्षी-2 श्री पृथी सिंह पुत्र श्री खमानी सिंह  
निवासी-झांझनपुर  
तहसील व जिला मुरादाबाद ।

श्रीमती जानकी देवी पत्नी



श्रीमती जानकी देवी पत्नी श्री  
जागन सिंह निवासी झांझनपुर,  
तहसील व जिला मुरादाबाद ।  
विक्रेता

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

यह बयनामा हाजा दिनांक 06.02.2010 को बईकरार मशबरा पक्षकारान बमुकाम  
मुरादाबाद टाईप किया गया ।

वीर सिंह सैनी  
एडवोकेट

फंजील नं०-701/04  
डी० जे० नं०-बी-15  
चेम्बर नं०-297 ए

क्रेता

Registration No. : 882

Year: 2,010

Book No. : 1


0201 अर्जुन सिंह लिपिक द्वारा अधिकृत मु0वि0प्रा0मुरा0 प्रतिनिधि \*  
वासुदेव  
कार्या0 मु0वि0प्रा0मुरा0  
नीकरी



विश्व बुनी उद्योग  
रादाबाद

जवशा जवरी  
ग्राम सोलापूर तहसील जिला मुद्रादाबाद  
गाय सं - 640  
क्षेत्र 0-037 हे.

21



82  
04-02/10

4/2/2010


प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव  
मुद्रादाबाद विकास प्राधिकरण  
मुद्रादाबाद

मि. रम. जागवा  
द्वारा

आज दिनांक 09/02/2010 को  
वही सं. 1 जिल्द सं. 6380  
पृष्ठ सं. 51 से 72 पर क्रमांक 882  
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।


रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी0 के0 यादव  
उप निबन्धक (द्वितीय)  
मुरादाबाद  
9/2/2010




३६९०

०८/२०१०



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

456396



-5 FEB 2010



### बयनामा

बयनामा 5,17,000/-रु० मालयती 5,17,000/-रु० स्टाम्प 36,190/-रु०


मैं/हम कि श्यामलाल, नौवत सिंह, पृथ्वी सिंह पुत्रगण श्री खमानी निवासी-झांझनपुर तहसील व जिला मुरादाबाद प्रथम पक्ष बिक्रेता व उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वितीय पक्ष क्रेता है ।



श्यामलाल



नौवत सिंह




P. Shrivastava

प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
मुरादाबाद







03BB 864285

- 2 -

5 FEB 2010

जो कि एक कित्ता काश्त आराजी बकदर भाग गाटा सं०-640 गि.अ/ब रकबई 0.110 हेक्टेयर खतौनी नं०-368 जायदाद जैल जमी तात्सुकात मुताल्लिका उसके बाके ग्राम सोनकपुर व जिला मुरादाबाद महदूदा जैल जिसके मुकिर/मुकिरान व हैसियत मालिकाना मालिक काबिज व मालिक है, जिस पर प्रथम पक्ष बहैसियत भूमिधरी मालिक काबिज व दखील है । जिसके निस्वत प्रथम पक्ष विक्रेता को कुल अख्तयारात इन्तकालात मालिकाना प्राप्त है । कोई अग्रमान इन्तकाल हाजा नहीं है जो इस समय तक हर प्रकार के बारगिरल रहन बय हिवा जमानत किफालत कुर्की व नीलामी दीगरे व लोन सरकारी व गैर सरकारी गरज कि हर नुक्स व शास्त्री आदि से कतई बरी व पाक साफ है ।

मुरादाबाद

मुरादाबाद

मुरादाबाद



प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
मुरादाबाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 741723



- 3 -

5 FEB 2010

लिहाजा बहालत दुरुस्ती होश हवाश खाम्सा विला बहकाये व सिखाये व दबाव नाजायज किसी के खूब सोच समझकर तमामी शयमुबईया मजकूराबाला को मय तमामी हदूद व हकूक दाखली व खारजी व मय हकूक आवरेजी हर किरम व मय हक रास्ता आमदोरफत व मय दीगर कुल हक व हकूक मुताल्लिका उसके को विला छोडे किसी जुज व हक व हिस्से के बिल एवज मुबलिंग रूपये 5,17,000/- (पांच लाख सत्रह हजार रुपये ) आधे जिसके मुबलिंग रु-2,58,500/- (दो लाख अठावन हजार पांच सौ रुपये) बदस्त उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद क्रंता वय कतई और फरोख्त कामिल करके कुल जरें समन उसका हस्य तपसील जैल द्वितीय पक्ष (क्रंता) से वसूल पाकर तमामी शयमुबईया मजकूरा बाला का कब्जा व दखल मालिकाना मिस्लजात खास अपनी के द्वितीय पक्ष (क्रंता) को करा दिया अब प्रथम पक्ष (विक्रेता) के किसी वारिसान का कुछ हक ताल्लुक मालिकाना व दावा किसी

प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
मुरादाबाद

शुद्ध मालिक  
नाज़िबुल्लाह  
P. Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 527038

-4-

किस्म का निस्वत शय मुबईया या जरे समन उसके से बाकी नहीं रहा और न ही आइन्दा कभी होगा । चुनांचे तकाबिजुल बदलैन उसका बहम प्रथम पक्ष (विक्रेता) व द्वितीय पक्ष (क्रेता) के अमल में आ गया है जुमला जमाने दर्क व इस्तहकाक उसका व जिम्मे प्रथम पक्ष (विक्रेता) है अगर बाद को कोई कानूनी व शास्त्रान बाके आवे अगर बाद को किसी बक्त में किसी फेल प्रथम पक्ष (विक्रेता) शय मुबईया जुज या कुल कब्जे द्वितीय पक्ष (क्रेता) या बारिसान उसके से निकल जाये या बगरज तहपफुज शयमुबईया द्वितीय पक्ष (क्रेता) को कुछ सर्फा मजीद खर्च या अदा करना पड़े तो उसी कदर जरे समन की वापसी का मैं प्रथम पक्ष (विक्रेता) अपनी जात व दीगर जायदाद मनकूल व गैरमनकूला हर किस्म से कुल हरजे व खरचे अदालती सहित देनदार व जिम्मेदार प्रथम पक्ष होंगे । बनीज आज तक की तमागी कानूनी देनदारियों व जिम्मेदारियों जिम्मे प्रथम पक्ष (विक्रेता) की होगी । आराजी की बावत पूर्व में कोई मुआयदावय नहीं हुआ है आराजी वक्फ या करस्टोडियन या ग्राम समाज से सम्बन्धित नहीं है ।

शुभम

माधवसिंह

P. Singh

प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव  
मुरादाबाद विकास अधिकारी  
मुरादाबाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 593394

- 5 -

अब द्वितीय पक्ष (क्रेता) को हक व अधिकार है कि वह कागजात सरकारी से प्रथम पक्ष विक्रेता का नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा ले प्रथम पक्ष (विक्रेता) को उज्र व एतराज न होगा । आराजी पूर्णतः खेती की भूमि है । आराजी उपरोक्त में कोई भवन पेड़ कूप, चोरिंग आदि नहीं है । आराजी मजकूर में मौके पर 200मी० की त्रिज्या में खेती हो रही है । आराजी मुबईया कृषि भूमि गाटा सं०-640मि.अ/ब का सरकिल रेट जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित जारी मूल्यांकन सूची परिशिष्टि-एक उपखण्ड-ग के क्रमांक-31 के अनुसार रूपये 10,00,000/- प्रति एकड निर्धारित है, किन्तु मुरादाबाद विकास प्राधिकरण रूपये 19,00,000/- प्रति एकड की दर से मालियत पर स्टाम्प शुल्क रूपये 36,190/- अदा किया जा रहा है उक्त रेलवे मार्ग मुरादाबाद दिल्ली से करीब 500 मी० दूर दक्खिन की तरफ है ।

शुभाश्वर

नीलाश्वर

P. Singh

प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
मुरादाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

Rs. 20

TWENTY  
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 6 -

09AA 099480

विक्रीत खसरा नम्बरान में विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण भाग विक्रेय किया है तथा विक्रेता का कोई भाग शेष नहीं रहा है । पक्षकारान के फोटो गवाहान की पहचान पर श्री वीर सिंह सैनी, एडवोकेट पंजीयन सं०-701/04 चैम्बर नं०-297ए कचहरी, मुरादाबाद के द्वारा प्रमाणित किये है । अतः यह बयनामा कतई लिख दिया ताकि सनद रहे और बक्त जरूरत काम आबे । इति । तफसील बसूली जरे समन मुबलिंग रुपये 5,17,000/- (पांच लाख सत्रह हजार रुपये ) बैंक संख्या 130138 दिनांक 03.02.2010 केनरा बैंक एम.डी.ए. शाखा मुरादाबाद बयनामा हाजा कब्ल रजिस्ट्री प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिया ।

श्री वीर सिंह सैनी

ना. कत. सि. है

P. Singh

प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव  
मुरादाबाद विचारा प्राधिकरण  
मुरादाबाद

वीर सिंह सैनी

एडवोकेट

पंजीयन सं०-701/04

डी० जे० नं०-बी-15

चैम्बर नं०-297 ए

- 5 FEB 2010

आज दिनांक..... को एक किता

स्टाम्प धरारशि 20 म ज राजराशि

श्री..... को कोषागार मुरादाबाद के दिनांक.....

मुख्य रोकटिया  
कोषागार मुरादाबाद

ने निष्पादन ग्योकार किया ।

जिनकी पहचान श्री मंगलसोन

पुत्र श्री लालमन

पेजा

निवासी झाझनपुर मुरा0

व श्रीमति जानकी देवी

पत्नी श्री स्व0 ज्ञानन सिंह

पेजा

निवासी झाझनपुर मुरा0

ने की ।

पञ्चदश भद्र गतिथियों के निजान अंगुटे नियमानुसार लिखे गये हैं ।

निष्ठाकरण अधिकारी के हस्ताक्षर  
[Signature]

पी0 के0 यादव  
उप निबन्धक (द्वितीय)  
मुरादाबाद  
9/2/2010





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-7-

09AA 099479

हदूद अरवा आराजी मुबईया गाटा सं० 640मि. अ/व

पूरब-	गाटा संख्या-638, 639
पश्चिम-	सीलिंग भूमि एवं चकमार्ग
उत्तर-	गाटा संख्या-636
दक्षिण-	गाटा संख्या-641

श्रीमान...

...

P. Singh

प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव  
मुपदाबाद विकास प्राधिकरण  
मुपदाबाद

- 5 FEB 2010

आज दिनांक को एक किता  
स्टाम्प नम्बर 20 मुद्रादाबाद  
श्री बी. दोहरे वारसे उपारके मुद्रादाबाद काय प्राधिकरण मुद्रादाबाद  
को दोहरे वारसे मुद्रादाबाद के लिए किया।

मुख्य रोकड़िया  
कोषागार मुद्रादाबाद

5/2/2010

विक्रय पत्र

\$17,000.00/ 517,000.00 10,000.00 40 10,040.00 2,000  
पनिफल मालियत फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

श्री अर्जुन सिंह लिपिक द्वारा अधिकृत मु0वि0प्रा0मुद्रा0 प्रतिनिधि मु0वि0प्रा0  
पुत्र श्री वासुदेव  
पेशा नौकरी  
निवासी स्थायी कार्या0 मु0वि0प्रा0मुद्रा0  
अस्थायी पता  
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 9/2/2010 यमय 3:34PM  
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रार का अधिकारी के हस्ताक्षर

पी0 के0 यादव  
उप निबन्धक (द्वितीय)  
मुद्रादाबाद  
9/2/2010

निष्पादन लेखपत्र बाद युनने व समझने मजमून व पाज धनगशि व पुनेखानुमा उक्त  
विशेषतः

श्री श्यामलाल  
पुत्र श्री खमानी  
पेशा कृषि  
निवासी झांझनपुर तह0 व जि0 मुद्रा0

खमानी

श्री अर्जुन सिंह लिपिक द्वारा अधिकृत मु0वि0प्रा0मुद्रा0  
प्रतिनिधि मु0वि0प्रा0मुद्रा0  
पुत्र श्री वासुदेव  
पेशा नौकरी  
निवासी कार्या0 मु0वि0प्रा0मुद्रा0

श्री नीबत सिंह  
पुत्र श्री खमानी  
पेशा कृषि  
निवासी झांझनपुर तह0 व जि0 मुद्रा0

नीबत सिंह

श्री पथी सिंह  
पुत्र श्री खमानी  
पेशा कृषि  
निवासी झांझनपुर तह0 व जि0 मुद्रा0

P-Singh





चिकित्सा

Registration No.: 881

Year: 2,010

Book No.: 1

0101 श्यामलाल

खमानी

झांझनपुर तह0 व जि0 मुरा0

कृषि



0102 नीबत सिंह

खमानी

झांझनपुर तह0 व जि0 मुरा0

कृषि



0103 पथी सिंह

खमानी

झांझनपुर तह0 व जि0 मुरा0

कृषि





साक्षी-1 श्री मंगल सैन पुत्र श्री लालमन  
निवासी-झांझनपुर  
तहसील व जिला मुरादाबाद ।

मंगल सैन  
हस्ताक्षर



साक्षी-2 श्रीमती जानकी देवी पत्नी स्व0 श्री जागन सिंह  
निवासी-झांझनपुर  
तहसील व जिला मुरादाबाद ।

जानकी  
हस्ताक्षर

यह बयनामा हाजा दिनांक 05.02.2010 को बईकरार मशबरा पक्षकारान बमुकाम  
मुरादाबाद टाईप किया गया ।

प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव  
मुश्तकान विकास प्राधिकरण  
मुरादाबाद

ब्रह्मलाल नावारसिंह



वीर सिंह सैनी  
एडवोकेट

फॉटो सं-2010/4  
डी जे नो 10-11-15  
दस्तावेज सं-297 ए

पत्र  
ग्राम से

क्रेता

Registration No. : 881

Year : 2,010

Book No. : 1

0201 अर्जुन सिंह लिपिक द्वारा अधिकृत मु०वि०प्रा०मुरा० प्रतिनिधि \*  
वासुदेव  
कार्या० मु०वि०प्रा०मुरा०  
नौकरी



चक्रवात जलशा


20

ग्राम सोनवपुर तहसील जिला मुसदाबाद

गाय सं- 640

क्षेत्रफल - 0-110 हेक्टर

रजिस्ट्रार



8/2  
04/02/10


M.P. Singh  
11/2/2010

प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव  
मुसदाबाद विकास प्राधिकरण  
मुसदाबाद

श्रीधरमहाल

श्रीधरमहाल

P. Singh



आज दिनांक 09/02/2010 को  
वही सं. 1 जिल्द सं. 6380  
पृष्ठ सं. 23 से 50 पर क्रमांक 881  
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी० के० यादव

उप निबन्धक (द्वितीय)

मुरादाबाद

9/2/2010

